न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री एल0एन0 सोनी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 1/2017/प्रा0 रेस्टोरेशन/आर्म्स/कोटा
दायरा दिनांक 6.2.2017

उनवान

मशरूल हसन पुत्र मोहम्मद यामीन निवासी–बी–7 फेन्डस कोलोनी ग्राम पुलिस लाईन बोरखेडा कोटा–राज0।

....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 कोटा (राज0)।

....अप्रार्थी

उपस्थित : श्री जमील अहमद अभिभाषक प्रार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी

:: निर्णय ::

दिनांक 18.11.2019

1. प्रार्थी ने यह रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा द्वारा अपील सं0 16/2015 दिनांक 8.6.2015 को अदम हाजिरी अदम पैरवी मे खारिज किये जाने पर अप्रसन्न होकर, अपील को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिये जाने हेतु दिनांक 22.8.2016 को पेश किया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.8.2016 को प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी एंव उसके अभिभाषक बावजूद सूचना के नियत तारीख पेशी दिनांक 19.12.2016 को उपस्थित नही होने पर प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन सं0 2/2016 दिनांक 19.12.2016 को अदम हाजिरी अदम पैरवी प्रार्थी मे खारिज किया गया। प्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक दिनांक 23.1.2017 को पुनः प्रार्थना पत्र पेश कर व्यापार के सिलसिले मे कोटा से बाहर होने के कारण तारीख पेशी पर उपस्थित नही हो पाना तथा ना ही अपने अभिभाषक को सूचित कर पाना उल्लेखित करते हुये उक्त त्रुटि जिनाईन एंव बोनाफाईड होने से क्षम्य किया जाना वर्णित करते हुये रेस्टोरेशन किये जाने का अनुरोध किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.1.2017 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 6.2.2017 को स्वीकार कर पूर्व प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन सं0 2/2016 (दि0 22.8.2016) को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिया जाकर पुनः दर्ज कर (प्रा0 पत्र सं0 1/17) अप्रार्थी को जरिये नोटिस आहूत किया गया।
2. प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.8.2016 मे वर्णित तथ्यों का अवलोकन कर वहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी राजकीय अभिभाषक पर मनन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध अधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सं0 16/15 दिनांक 8.6.2015 को अपीलार्थी एवं उसके अभिभाषक बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने पर अदम हाजिरी अदम

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग कोटा

पैरवी अपीलांट मे खारिज की गई है। इसी प्रकार अपील को रेस्टोर करने हेतु दिनांक 22.8.2016 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भी प्रार्थी व उसके अभिभाषक बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने पर दिनांक 1912.2016 को अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी अपीलांट मे खारिज किया गया जिसे पुनः दिनांक 23.1.2017 को रेस्टोर किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश होने पर दिनांक 6.2.2017 को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिया जाकर दर्ज किया गया। (प्रा0 पत्र सं0 1/2017) प्रार्थना पत्र मे अपील अदम हाजिरी अदम पैरवी मे दिनांक 8.6.2015 को खारिज होने की जानकारी कोटा वापस आने पर होना वर्णित किया है। पत्रावली ऐसे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है जिससे प्रार्थी के कथन की पुष्टि होती हो। प्रश्नगत प्रकरण मे रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक द्वारा भी अपील को रेस्टोर किये जाने का कोई ठोस व युक्तियुक्त कारण नही होने से प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन खारिज करने अनुरोध किया गया। अतः उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन को स्वीकार किये जाने का कोई न्यायोचित व ठोस आधार प्रकट नही होता है। फलत समुचित एंव ठोस आधार अभिलेख के अभाव मे प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन खारिज किया जाता है।

3. निर्णय आज दिनांक 18.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एन0सोनी)
संभागीय आयुक्त
कोटा